न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
परिवाद संख्या– 34/2024
कपिल बनाम हेमन्त आदि।
अंतर्गत धारा– 115(2), 351(2), 352, 3(5) भा०न्या०सं०,
3(2)(va), 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 02.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **हेमन्त तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र, आजाद तोमर व ललित राणा उर्फ ललित तोमर** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **हेमन्त तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र, आजाद तोमर व ललित राणा उर्फ ललित तोमर** के विरुद्ध भा०न्या०सं० की धारा 115(2), 351(2), 352, 3(5) व एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va), 3(1)द, 3(1)ध के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रले खीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 29.04.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 02.04.2026

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.04.03 11:15:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
परिवाद संख्या– 34/2024
कपिल बनाम हेमन्त आदि।
अंतर्गत धारा– 115(2), 351(2), 352, 3(5) भा०न्या०सं०,
3(2)(va), 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **हेमन्त तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र, आजाद तोमर व ललित राणा उर्फ ललित तोमर** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 12.30 बजे दोपहर, बस्थान ग्राम भोवापुर के पास ब्लिंकिट कम्पनी रिलायंस रोड, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 115(2)/3(5) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को अपमानित करने के आशय से उसके साथ गाली गलौज की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(1)(द) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली गलौज की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(1)(ध) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

षष्टम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, गंदी–गंदी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)va के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 02.04.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 02.04.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।